छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

आदेश

रायपुर, दिनांक 11/5/2017

क्रमांक एफ 1–32/2015/स्था/चार ::: राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा वर्ष–2015 तथा साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर स्थानीय निधि संपरीक्षा वित्त विभाग के अंतर्गत सहायक संचालक के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किए गए निम्नांकित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, दो वर्ष की परिवीक्षा पर पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रूपये 15600–39100 ग्रेड वेतन रूपये 5400/– में अनन्तिम (Provisional) रूप से कडिका 2.1 से 2.11 में उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :–

स.क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा का मुख्य सूची का सरल क्र.	नाम पिता/पति का नाम एवं स्थायी पता	चयन का वर्ग
1.	1	श्री जितेन्द्र कुमार पैंकरा पिता श्री सिविल सर्जन पैंकरा, ग्राम–टेड़गा (लम्बीडांड़) पो. –बिलासपुर तह.+थाना–बतौली, जिला –सरगुजा (छ.ग.)	अनुसूचित जन जाति

2/– 2.1 यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।

2.2 परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षावधि में ऐसा प्रशिक्षण ग्रहण करना होगा तथा ऐसी विभागीय परीक्षा अपेक्षित स्तर से उत्तीर्ण करना होगी जो शासन द्वारा निर्धारित की जाये।

2.3 शासकीय सेवा के दौरान शासकीय सेवक छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1991 के अंतर्गत शासित होगा।

2.4 उपरोक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति राज्य या संभागीय "मेडिकल बोर्ड" से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण–पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है। अतः अभ्यर्थी राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तत्काल विभाग में प्रस्तुत करेंगे। बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण–पत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा, तथा कार्य की गयी अवधि का कोई वेतन देय नहीं होगा। "मेडिकल बोर्ड" द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।

2.5 उपरोक्त अभ्यर्थी को संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा, नया रायपुर अधिकारी के समक्ष स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण–पत्र की मूल प्रतियॉ सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गयी कोई भी जानकारी/प्रमाण–पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।

2.6 प्रमाण–पत्रों के पूर्ण सत्यापन के उपरान्त ही संबंधित कर्मचारी की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा।

2.7 चयनित अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक बांड शासन के पक्ष में निष्पादित करना आवश्यक होगा कि परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गयी राशि की वसूली की जाएगी जिसमें वेतन भत्ते एवं यात्रा देयक भी शामिल होगा।

2.8 चयनित आवेदक की परस्पर वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गयी चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित रहेगी।

2.9 यह नियुक्ति पूर्णतः अनंतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।

2.10 प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है।

2.11 अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथाः जाति प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी के सत्य होने के विषय, एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डॉ.ए.के. सिंह)
उप सचिव
दूरभाष क्र. 0771–2510738

08/05

पृ. क्रमांक एफ 1–32/2015/स्था/चार, नया रायपुर, दिनांक 11/5/2017

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य मंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर
6. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर
7. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 3086/36/चयन/2016, दिनांक 7.2.2017 एवं ज्ञापन क्रमांक 26/36/चयन/2016, दिनांक 20.1.2017
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
9. संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
10. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
11. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. नया रायपुर। कृपया मेडिकल बोर्ड से उम्मीदवार का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर, स्वास्थ्य योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र उसे शीघ्र प्रदाय करें। मेडिकल बोर्ड की बैठक तिथि, स्थान व समय की सूचना अभ्यर्थी को उसके वर्तमान पते पर सीधे सूचित करें, ताकि वह निर्धारित समय पर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित हो सके।
12. संचालक, जनसंपर्क विभाग, रायपुर
13. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली संचालनालय, छत्तीसगढ़, महानदी भवन की ओर वेबसाईट में अपलोड करने हेतु
14. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, नया रायपुर की ओर राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित हेतु
15. संभागीय संयुक्त संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर/दुर्ग, छत्तीसगढ़
16. समस्त कोषालय अधिकारी, ...छत्तीसगढ़
17. संबंधित अभ्यर्थी श्री जितेन्द्र कुमार पैंकरा .... आपको निर्देशित किया जाता है कि नियुक्ति आदेश की पावती एवं सहमति अविलंब इस विभाग को भेजे एवं इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा, नया रायपुर कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में शपथ–पत्र एवं मूल प्रमाण–पत्रों सहित उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करें।
18. आदेश फोल्डर हेतु

––––––की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

(अतुल कुलश्रेष्ठ)
शोध अधिकारी

दूरभाष क्र. 0771–2510494

08/05